बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र0/SBPDCL–04/2019 613 पटना, दिनांक– 05-03-19

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार,वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः **नॉर्थ/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के क्षेत्राधीन कांटी एवं कहलगॉव शहर (पूर्व वितरण फेन्चाईजी क्षेत्र) के विद्युत वितरण की संरचना के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु क्रमशः 26.77 करोड़ (छब्बीस करोड़ सतहत्तर लाख) एवं 17.13 करोड़ (सतरह करोड़ तेरह लाख) रूपये अर्थात कुल 43.90 करोड़ (तैंतालिस करोड़ नब्बे लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति। पावर सब–स्टेशन के निर्माण हेतु आवश्यक भूखण्ड के क्रय में होने वाले वास्तविक खर्च की शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति राज्य योजना से करने की स्वीकृति। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को 3.00 करोड़ (तीन करोड़) रूपये एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को 3.00 करोड़ (तीन करोड़) रूपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत।

इंटिग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (आई0पी0डी0एस0) के अंतर्गत राज्य के 139 शहरी क्षेत्रों में से 6 वितरण फेन्चाईजी क्षेत्र छोड़कर शेष 133 शहरी क्षेत्रों में 24X7 विद्युत उपलब्धता, ए0टी0 एण्ड सी0 हानि कम करने एवं सभी बसावटों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु नॉर्थ/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के लिये क्रमशः 1058.00 करोड़ एवं 1042.50 करोड़ रूपये अर्थात कुल राशि 2100.50 करोड़ रूपये की स्वीकृति क्रमशः विभागीय राज्यादेश संख्या–2460 दिनांक–24.08.2015 एवं राज्यादेश संख्या–2461 दिनांक– 24.08.2015 द्वारा प्रदान की गयी। पुनः विभागीय राज्यादेश संख्या–2664 दिनांक–04.10.2018 द्वारा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के लिये 1093.92 करोड़ रूपये की पुनरीक्षित लागत की स्वीकृति प्रदान की गयी है। योजना का कार्य प्रगति पर है तथा इसका कार्यान्वयन मिशन मोड में कराया जा रहा है।

2. पूर्व में वितरण फ्रेंचाईजी क्षेत्र होने के कारण कांटी एवं कहलगॉव शहर आई0पी0डी0एस0 योजना के अंग नहीं थे। वर्त्तमान में यहाँ वितरण फ्रेंचाईजी का एकरारनामा रद्द किया जा चुका है। आई0पी0डी0एस0 योजना के कार्यान्वयन हेतु कांटी शहर के लिए 26.77 करोड़ रूपये एवं कहलगॉव शहर के लिए 17.13 करोड़ रूपये का डी0पी0आर0 पी0एफ0सी0 को समर्पित किया गया। परंतु कांटी एवं कहलगॉव शहर के लिए डी0पी0आर0 की स्वीकृति नही दी गई। इस योजना की स्वीकृति हेतु नॉर्थ/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 से प्रस्ताव प्राप्त है।

5. उक्त आलोक में नॉर्थ/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के क्षेत्राधीन कांटी एवं कहलगॉव शहर (पूर्व वितरण फेन्चाईजी क्षेत्र) के विद्युत वितरण की संरचना के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु क्रमशः 26.77 करोड़ (छब्बीस करोड़ सतहत्तर लाख) एवं 17.13 करोड़ (सतरह करोड़ तेरह लाख) रूपये अर्थात कुल 43.90 करोड़ (तैंतालिस करोड़ नब्बे लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति। पावर सब–स्टेशन के निर्माण हेतु आवश्यक भूखण्ड के क्रय में होने वाले वास्तविक खर्च की शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति राज्य योजना से करने की स्वीकृति। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को 3.00 करोड़ (तीन करोड़) रूपये एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को 3.00 करोड़ (तीन करोड़) रूपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6. उक्त राशि माँग सं0–10, मुख्य शीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्य शीर्ष–05 संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, उपशीर्ष–0111–बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 की परियोजना, विपत्र कोड–10–4801051900111 विषय शीर्ष 5401–निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

7. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120–अन्य निधियाँ, उपशीर्ष–0047–साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, व्यय शीर्ष–L8448001200047 एवं प्राप्तियाँ–K–8448001200047 में जमा की जाएगी तथा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120–अन्य निधियाँ, उपशीर्ष–0048–नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, व्यय शीर्ष–L8448001200048 एवं प्राप्तियाँ–K–8448001200048 में जमा की जाएगी।

8. नॉर्थ/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी०एल० खाता संख्या क्रमशः PLA276 एवं PLA275 से की जाएगी।

9. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र0/SBPDCL–04/2019 के पृष्ठ संख्या–15/टि0 पर दिनांक–25.02.2019 को प्राप्त है।

11. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र0/SBPDCL–04/2019 के पृष्ठ संख्या–17/टि0 पर दिनांक–01.03.2019 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(प्रत्यय अमृत)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र0/SBPDCL–04/2019 613 /पटना, दिनांक– 05-03-19

प्रतिलिपिः–महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र0/SBPDCL–04/2019 613 /पटना, दिनांक– 05-03-19

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0/प्रबंध निदेशक, नॉर्थ/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।